न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 266 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 00066

राजेश कुमार पुत्र आशाराम जाति ब्राहम्ण साकिन गोड़ भवन, नजदीक हनुमान मन्दिर, वार्ड नं. 6 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ। ----अपीलार्थी

बनाम

1. कृष्ण कान्ता पुत्री आशाराम पत्नी भारत भूषण जाति ब्राहम्ण निवासी झांसल तहसील भादरा हाल मकान नं. 412 / 1 गौतम निवास किर्ती नगर रोड़ गली नं. 3 महबूब टेलर के पास बेगु रोड़ सिरसा--125055

   --रेस्पोडेण्ट / वादी

2. राधेश्याम पुत्र आशाराम जाति ब्राहम्ण निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. पवन कुमार पुत्र आशाराम (फौत)

   3 / 1 चन्द्रशेखर पुत्र पवन कुमार जाति ब्राहम्ण वार्ड नं. नया 37 शिवपुराबास पटवारी कॉलोनी भादरा जिला हनुमानगढ।
4. अशोक कुमार पुत्र आशाराम जाति ब्राहमण साकिन वार्ड नं. 9 नजदीक पोस्ट ऑफिस सरकारी हस्पताल रोड़ सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्नेह पुत्री आशा पत्नी राकेश कुमार पुत्र श्री सुभाष जी बवेरवाल जाति ब्राहम्ण निवासी झांसल हाल निवासी देगाबास तारानगर जिला चुरू।

   -- रेस्पोडेंट्स / प्रतिवादीगण

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2014,

प्रकरण संख्या 22 / 2014 अनवान कृष्ण कान्ता बनाम आशाराम आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सत्यनारायण कायल अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1

निर्णय दिनांक 22.12.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष एक वाद इस्तकरारहक एवं रिकार्ड में दुरूस्ती का एक वाद पेश किया। जिसमें कथन कियाकि वाद पत्र की मद सं0 1 में वर्णित प्रश्नगत भूमि वादिया के पिता के नाम दर्ज आराजी पैतृक आराजी है जो वादिया के पिता को वादिया के दादा शिवचन्द पुत्र ठाकरसिंह से प्राप्त हुई है। प्रश्नगत भूमि में वादिया का जन्म से 1/7 हिस्सा है, जिसे पाने की वादिया हकदार है। कुल वाद भूमि में वादिया व प्रतिवादीगण सं0 1 से 6 सातों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। इसी अनुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जावे। वादीया व प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश किया। विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अनतर्गत था एवं 88 आरटीएक्ट के वाद में दावा के रोज कब्जा होना आवश्यक है। बिना कब्जा उद्घोषणा का वाद पेश नहीं किया सकता है। पूर्व में प्र0 सं0 109/2002 में दिनांक 17.04.2002 को आशाराम एवं उनके चारों पुत्रों ने भूमि आपसी सहमति से विभाजित करवा ली थी। जिसमें चक 1 जेएसएल के मु. नं. 36 के किला नं. 16 से 20 व 23 से 25 की 2.0240 है0 खातेदारी अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दी गई थी। इस प्रकार अपीलाण्ट को पूर्व के निर्णय से यह भूमि प्राप्त हुई है जिसका वही न्यायालय नये दावे के आधार पर केवल अपीलाण्ट को ही खातेदार घोषित कर सकता है। प्रश्नगत भूमि का खाता विभाजन हो चुका था एवं अधिकारों की घोषणा हो चुकी थी। वर्तमान में तथाकथित राजीनामा प्रस्तुत हुआ वह कतई प्रभाव शून्य है इस प्रकार तथाकथित राजीनामा विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत हुआ था एवं

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विधि विरूद्ध राजीनामा के आधार पर दावा में किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं बनता है। दावा में रेस्पोडेण्ट सं0 1 का अनुतोष यही था कि दावा की मद सं0 2 में दर्ज कुल भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 से 5 के नाम अलग अलग खाता में दर्ज है उसमें प्रत्येक वादिया व प्रतिवादी 1 ता 6 सातों ब0हि0ब0 के खातेदार हैं। पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2002 में स्व0 श्री आशाराम के साथ साथ उनके चार पुत्र भी पक्षकार थें रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 5 पुत्रियों की शादि अच्छे घरों में करने एवं उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं करना जाहिर करने के कारण उन्हें पूर्व दावा में पक्षकार नही बनाया गया था इस कारण वे अधिक से अधिक पूर्व के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2002 को ही चुनौती दे सकती थी नया वाद उक्ताधार पर कतई पोषणीय नहीं था। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने जब प्रश्नगत भूमि को खाली करने की धमकी दी तब वर्तमान अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की अपीलाण्ट को जानकारी हुई। इससे पूर्व में अपीलाण्ट को जानकारी नही थ। निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होते ही अपीलाण्ट ने अपील पेश कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2004 पेज 167, आरबीजे 2004 पेज 170, आरआरडी 1995 पेज 576, आरआरडी 1992 पेज 17 (सी) के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के पिता के नाम से दर्ज थी जो पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि होने के कारण रेस्पोडेण्ट सं0 1 का इसमें हक हिस्सा है। यदि पूर्व में कोई निर्णय है हुआ है तो रेस्पोडेण्ट उसमें पक्षकार नहीं थी। यदि रेस्पोडेण्ट को पक्षकार बनाये बिना कोई निर्णय पारित हुआ है तो वह पूर्व के निर्णय से बाध्य नहीं। अधीनस्थ न्यायालय में वर्तमान अपीलाधीन निर्णय आपसी राजीनामा के आधार पर पारित किया गया है। राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय की अपील नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण पर का प्रश्न है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के पिता आशाराम के नाम दर्ज है एवं बहस में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि होने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया, अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया एवं राजीनामा के आधार पर विचारण न्यायालय ने वादीया का वाद डिक्री किया है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत था एवं 88 आरटीएक्ट के वाद में दावा के रोज कब्जा होना आवश्यक है। पूर्व में प्र0 सं0 109/2002 में दिनांक 17.04.2002 को आशाराम एवं उनके चारों पुत्रों ने भूमि आपसी सहमति से विभाजित करवा ली थी। जिसमें चक 1 जेएसएल के मु. नं. 36 के किला नं. 16 से 20 व 23 से 25 की 2.0240 है0 खातेदारी अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दी गई थी। इस प्रकार अपीलाण्ट को पूर्व के निर्णय से यह भूमि प्राप्त हुई है जिसका वही न्यायालय नये दावे के आधार पर केवल अपीलाण्ट को ही खातेदार घोषित कर सकता है। प्रश्नगत भूमि का खाता विभाजन हो चुका था एवं अधिकारों की घोषणा हो चुकी थी। वर्तमान में राजीनामा प्रस्तुत हुआ वह कतई प्रभाव शून्य है इस प्रकार तथाकथित राजीनामा विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत हुआ था एवं विधि विरूद्ध राजीनामा के आधार पर दावा में किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं बनता है। दावा में रेस्पोडेण्ट सं0 1 का अनुतोष यही था कि दावा की मद सं0 2 में दर्ज कुल भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 से 5 के नाम अलग अलग खाता में दर्ज है उसमें प्रत्येक वादिया व प्रतिवादी 1 ता 6 सातों ब0हि0ब0 के खातेदार हैं। पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2002 में स्व0 श्री आशाराम के साथ साथ उनके चार पुत्र भी पक्षकार थें रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 5 पुत्रियों की शादि अच्छे घरों में करने एवं उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं करना जाहिर करने के

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कारण उन्हें पूर्व दावा में पक्षकार नही बनाया गया था इस कारण वे अधिक से अधिक पूर्व के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2002 को ही चुनौती दे सकती थी नया वाद उक्ताधार पर कतई पोषणीय नहीं था, क्यों कि वादीगण ने पूर्व के वाद के तथ्यों को छुपाकर नया दावा डिक्री करवाया है। वादीगण वाद में क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.2014 खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

22/12/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 266/2022

आरसीएमएस नं. 2022/00066

राजेश कुमार पुत्र आशाराम जाति ब्राहम्ण साकिन गोड़ भवन, नजदीक हनुमान मन्दिर, वार्ड नं. 6 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. कृष्ण कान्ता पुत्री आशाराम पत्नी भारत भूषण जाति ब्राहम्ण निवासी झांसल तहसील भादरा हाल मकान नं. 412/1 गौतम निवास किर्ती नगर रोड़ गली नं. 3 महबूब टेलर के पास बेगु रोड़ सिरसा–125055

   –रेस्पोडेण्ट/वादी

2. राधेश्याम पुत्र आशाराम जाति ब्राहम्ण निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. पवन कुमार पुत्र आशाराम (फौत)
   3/1 चन्द्रशेखर पुत्र पवन कुमार जाति ब्राहम्ण वार्ड नं. नया 37 शिवपुराबास पटवारी कॉलोनी भादरा जिला हनुमानगढ।
4. अशोक कुमार पुत्र आशाराम जाति ब्राहमण साकिन वार्ड नं. 9 नजदीक पोस्ट ऑफिस सरकारी हस्पताल रोड़ सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्नेह पुत्री आशा पत्नी राकेश कुमार पुत्र श्री सुभाष जी बवेरवाल जाति ब्राहम्ण निवासी झांसल हाल निवासी देगाबास तारानगर जिला चुरू।

   —— रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2014,
प्रकरण संख्या 22/2014 अनवान कृष्ण कान्ता बनाम आशाराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री सत्यनारायण कायल अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 की ओर से बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.2014 खारिज किया जाता है।
डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 22.12.22 को जारी की गई।

22.12.22

(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़